स्थापना : 1957

विवरणिका

2020.21

राजकीय महाविद्यालय, सिरोही

The NAAC "A" Grade College

E-mail : collegesirohi@gmail.com
website: https://hte.rajasthan.gov.in/college/gcsirohi
Phone 2972-221684

विवरणिका में सम्मिलित सूचनाएं राजस्थान सरकार/निदेशालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर/मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर/प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, सिरोही के आदेशाधीन परिवर्तनीय, परिवर्द्धनीय एवं संशोधनीय हैं।

(Students are directed to visit College Education, Rajasthan website : https://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ and college website/ notice board regularly for all type of updates)

Published by Principal, Government College, Sirohi

संदेश

प्रिय विद्यार्थियों,

महाविद्यालय के नवीन शैक्षणिक सत्र 2020–21 में मैं आप समस्त प्रवेशार्थियों का हृदय से स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ।

सिरोही महाविद्यालय बहुसंकायी उच्च शिक्षण संस्थान है, यहां शैक्षणिक तथा सहशैक्षणिक गतिविधियों हेतु विपुल मात्रा में संसाधन विद्यमान हैं। आप इनका उपयोग करें, आप महाविद्यालय में न केवल अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर पायेंगे, अपितु अपने व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास को भी संभव बनाकर भविष्य में नयी–नयी उपलब्धियाँ अर्जित कर सकेंगे।

महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थाओं का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन) विनियम 2015 के तहत NAAC द्वारा A श्रेणी प्रदान की है। महाविद्यालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त कर रहा है।

सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की छात्रवृत्तियाँ, बुक बैंक, विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए देवनारायण योजना, अल्पसंख्यक एवं विशिष्ट योग्यजन छात्रवृत्तियाँ इत्यादि की व्यवस्था की है। इन योजनाओं का लाभ उठाकर आप धनाभाव को उत्तरोत्तर शिक्षा ग्रहण करने में बाधक नहीं बनने दें! राजकीय महाविद्यालय, सिरोही केवल उच्च शिक्षण संस्थान ही नहीं है, अपितु योग्य शिक्षकों द्वारा आपको अनुशासन तथा मानवीय मूल्यों को आत्मसात करवाया जाता है। मुझे आशा है, महाविद्यालय में पाठ्यक्रम सम्पन्न करने के पश्चात् आप एक परिपक्व एवं आत्मनिर्भर बनकर अपना भविष्य बनाने के लिए तत्पर होंगे।

आपसे आग्रह है कि रैगिंग एवं महिला उत्पीड़न जैसी बुराइयों से दूर रहकर अनुशासित विद्यार्थी बनें। यदि आप उक्त कृत्य में संलिप्त पाए गए तो सर्वोच्च न्यायालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशानुसार इस अपराध के लिए दण्ड के भागी होंगे। आप से अपेक्षा है कि परिसर को हरा–भरा एवं स्वच्छ रखने में सहयोग प्रदान करें।

राजकीय महाविद्यालय, सिरोही का अंग बनकर आप अपना सर्वांगीण विकास करें, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। शुभकामनाओं के साथ...

डॉ. कमलकांत शर्मा

प्राचार्य

महाविद्यालय

सिरोही जिले के इस सर्वोच्च उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना 1957 में स्नातक महाविद्यालय के रूप में हुई थी। सन् 1977 में हिन्दी साहित्य और इतिहास विषयों में स्नातकोत्तर अध्यापन प्रारम्भ हो जाने से यह स्नातकोत्तर महाविद्यालय बन गया। तत्पश्चात् सन् 1984 में राजनीति विज्ञान व अंग्रेज़ी साहित्य में स्नातकोत्तर अध्यापन प्रारम्भ हुआ एवं सत्र 1987 में संस्कृत साहित्य एवं रसायन विज्ञान में भी स्नातकोत्तर अध्यापन प्रारम्भ हुआ। सत्र 2013 में समाज शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर अध्यापन प्रारम्भ हुआ। स्नातक स्तरीय कक्षाओं में भी समय–समय पर नए विषय जुड़ते रहे। 2014–15 में यह महाविद्यालय नैक द्वारा A श्रेणी का घोषित किया गया है।

महाविद्यालय के आमने–सामने स्थित दो परिसर हैं। मुख्य भवन में कला और वाणिज्य संकाय के विभिन्न विभाग तथा नये परिसर में विज्ञान संकाय के विभिन्न विभाग, पुस्तकालय, वनस्पति उद्यान आदि अवस्थित हैं। महाविद्यालय का खेलकूद मैदान शिवगंज रोड पर स्थित है। महाविद्यालय में सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित है, एवं परिसर इलेक्ट्रोनिक सर्विलेन्स के द्वारा सज्जित है। महाविद्यालय के सभी विभागों, प्रशासकीय प्रभागों एवं पुस्तकालय में इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध है एवं पुस्तकालय LMS software से युक्त है। इस महाविद्यालय में राजस्थान सरकार के सहयोग से E-Class Room स्थापित किया गया है।

महाविद्यालय राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का अंग है। इसका प्रबन्धन और संचालन निदेशालय, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा होता है। महाविद्यालय के संकाय और कर्मचारी वर्ग की नियुक्तियां राज्य सरकार करती है। महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क, अवकाश आदि से संबंधित सभी नियम– उपनियम राज्य सरकार बनाती है। महाविद्यालय के दैनंदिन प्रशासन के दायित्व का निर्वहन राज्य शासन द्वारा नियोजित प्राचार्य और उपाचार्य करते हैं।

महाविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर से संबद्ध है। इसी के पाठ्यक्रम महाविद्यालय में प्रभावी हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को केन्द्र में रखकर महाविद्यालय में अनेक प्रकार की गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं।

आवश्यक सूचना

महाविद्यालय में रैगिंग लेना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009 के अंतर्गत कानूनन अपराध है। महाविद्यालय में प्रविष्ट विद्यार्थी को लज्जित करना, उसमें भय की भावना उत्पन्न करना, उसे शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचाना आदि रैगिंग के अन्तर्गत आते हैं। ऐसे विद्यार्थी, जो इस कृत्य में लिप्त पाए जाएंगे, उनके विरूद्ध यथाविधि कार्यवाही की जाएगी।

महाविद्यालय में रैंगिंग रोकने हेतु निम्न समिति गठित की गई है।

1 डॉ. अनुपमा साहा (संयोजक) 2 डॉ. नवनीतकुमार वर्मा (सदस्य)

3 डॉ. रूचि पुरोहित (सदस्य) 4 श्री अतुल भाटिया (सदस्य)

विद्यार्थी 02972–221684 पर भी **शि**कायत कर सकते हैं।

महिला उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति

महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं की यौन उत्पीडन सम्बन्धी शिकायतों के निवारण हेतु इस समिति का गठन राज्य सरकार के आदेश पर किया गया है।

अच्छी तरह जान लें, ये सभी यौन उत्पीड़न हैं :–

- छूना या छूने की कोशिश करना।
- बोलकर या बिना बोले, भद्दे इशारे या अंग प्रदर्शन करना।
- लगातार घूरना।
- फूहड़ मज़ाक करना।
- मेज़, दीवार आदि पर अश्लील बातें लिखना।
- व्यक्तिगत जीवन के बारे में अफवाहें फैलाना।
- पीछा करना।
- कार्यालय/महाविद्यालय समय के बाद या अपने घर बुलाकर काम करने के बहाने अभद्र व्यवहार, यौन सम्पर्क का दबाव या अनुरोध।
- फोन पर अश्लील बातें करना या एस.एम.एस, एम.एम.एस. इत्यादि करना।
- शारीरिक संपर्क या उसकी कोशिश।
- अश्लील चर्चा करना।
- कामुक (अश्लील चित्र), फोटो, पोस्टर दिखाना।

ऐसा कोई भी अन्य अश्लील या अभद्र व्यवहार जिस पर महिलाओं को आपत्ति हो, वह यौन उत्पीड़न है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार सख़्त कार्यवाही की जायेगी।

धूम्रपान रोकथाम

महाविद्यालय परिसर में तम्बाकू एवं इससे निर्मित उत्पादों का सेवन पूर्णतया वर्जित है। परिसर में तम्बाकू सेवन एवं धूम्रपान करते हुए पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी एवं यथानियम दंडित किया जाएगा।

महाविद्यालय पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र है। महाविद्यालय परिसर में पॉलीथीन का प्रयोग वर्जित है।

प्राधिकारी

प्राचार्य : डॉ. कमलकान्त शर्मा उपाचार्य : रिक्त

संकाय

भूगर्भ शास्त्र विभाग
1. डॉ. कमलकान्त शर्मा, पीएच.डी.
2. रिक्त

वनस्पति शास्त्र विभाग
1. डॉ. रूचि पुरोहित, पीएच.डी.
2. रिक्त

गणित विभाग
1. श्री सुनील कुमार मीना, एम.एससी.

भौतिक शास्त्र विभाग
1. श्री ऋषि मीना, एम.एससी.
2. रिक्त

प्राणी शास्त्र विभाग
1. डॉ. ज्ञान विकास मिश्रा, पीएच.डी
2. डॉ. सुरेश कुमार, पीएच.डी

रसायन शास्त्र विभाग
1. डॉ. अजय शर्मा, पीएच.डी.
2. डॉ. हेमलता, पीएच.ड़ी.
3. डॉ. जयश्री गुरनानी, पीएच.डी.
4. डॉ. गायत्री प्रसाद, पीएच.डी.
5. श्रीमती सुमन कुमारी, एम.एससी.
6. रिक्त 02

लेखा व व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग
1. डॉ. गजेंद्र कुमार जांगिङ, पीएच.ड़ी.

व्यावसायिक प्रशासन विभाग
1. रिक्त

आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग
1. श्री कन्हैया लाल, एम.ए.

अर्थशास्त्र विभाग
1. श्री ओमदत्त परेवा, एम.ए.

लोक प्रशासन विभाग
1. डॉ. रीना श्रीवास्तव, पीएच.डी.

भूगोल विभाग
1. डॉ संजय परिहार, पीएच.डी.
2. श्री खेमराज चौधरी, एम.ए.
3. रिक्त

संगीत (कण्ठ) विभाग
1. श्रीमती संगीता शर्मा, एम.ए.

समाज शास्त्र विभाग
1. डॉ. अनुपमा साहा, पीएच.डी
2. डॉ. अनिता जैन, पीएच.डी.
3. रिक्त 05

अंग्रेज़ी विभाग
1. श्रीमती रेणुका वर्मा, एम.ए.
2. रिक्त 03

हिन्दी विभाग
1. डॉ. संध्या दुबे, एम.फिल, पीएच.डी.
2. डॉ. शची सिंह, पीएच.डी.
3. डॉ. भगवाना राम विश्नोई, पीएच.डी
4. डॉ. कैलाश गहलोत, पीएच.डी
5. श्री दिनेश कुमार सोनी, एम.ए.

इतिहास विभाग
1. श्री अतुल भाटिया, एम.फिल.
2. डॉ. कुसुम राठौड, पीएच.ड़ी.
3. रिक्त 03

राजनीति विज्ञान विभाग
1. डॉ. नवनीत कुमार वर्मा, पीएच.डी.
2. रिक्त 03

संस्कृत विभाग
1. डॉ. शारदा भण्डारी, पीएच.डी
2. डॉ. मीना जैन, पीएच.डी.
3. डॉ. रामनारायण शास्त्री, पीएच.डी.
4. रिक्त 02

पुस्तकालयाध्यक्ष
1. डॉ. संजीव भटनागर, पीएच.डी.

शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक
1.रिक्त

मंत्रालयिक, अधीनस्थ एवं सहायक कर्मचारी

मंत्रालयिक कर्मचारी

1. जगदीश कुमार,	सहायक प्रशासनिक अधिकारी
2. हितेश कुमार	कनिष्ठ सहायक
3. मोहनलाल माली	कनिष्ठ सहायक

अधीनस्थ कर्मचारी

1. गजेन्द्रसिंह चौहान,	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक
2. मोहम्मद अतीक,	प्रयोगशाला सहायक
3. राम सिंह,	प्रयोगशाला सहायक
4. लक्ष्मणकुमार	मेकेनिक
5. हरीश कुमार	गैसमैन

सहायक कर्मचारी

1. बलवन्त सिंह	प्रयोगशाला सेवक
2. बाबूलाल	सहायक कर्मचारी
3. अरविन्द कुमार	सहायक कर्मचारी
4. केसाराम	सहायक कर्मचारी
5. प्रदीप कुमार	सहायक कर्मचारी
6. प्रकाश	सहायक कर्मचारी
7. पुष्पा देवी	सहायक कर्मचारी

पाठ्यक्रम

महाविद्यालय में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा निर्धारित निम्न पाठ्यक्रम अध्ययन के लिए सुलभ हैं :–

1. स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम

(अ) कला संकाय

अनिवार्य विषय

प्रथम वर्ष – 1. सामान्य अंग्रेज़ी 2. पर्यावरण अध्ययन

द्वितीय वर्ष – 1. सामान्य हिन्दी 2. कम्प्यूटर अनुप्रयोग

ऐच्छिक विषय : निम्न में से कोई तीन विषय :

1. अर्थशास्त्र या संस्कृत साहित्य या संगीत 2. लोक प्रशासन या हिन्दी साहित्य

3. समाजशास्त्र या अंग्रेज़ी साहित्य 4. राजनीति विज्ञान 5. भूगोल 6. इतिहास

यह ध्यान रखें कि :–

1. प्रायोगिक कार्य वाले विषय दो से अधिक नहीं लिये जा सकते।
2. साहित्य विषय–संस्कृत, हिन्दी , अंग्रेजी में से भी दो से अधिक नहीं लिये जा सकते।

(ब) वाणिज्य संकाय

अनिवार्य विषय

प्रथम वर्ष – 1. सामान्य अंग्रेज़ी 2. पर्यावरण अध्ययन

द्वितीय वर्ष – 1. सामान्य हिन्दी 2. कम्प्यूटर अनुप्रयोग

1 .लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी 2. व्यावसायिक प्रशासन 3. आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध

(स) विज्ञान संकाय

अनिवार्य विषय

प्रथम वर्ष – 1. सामान्य अंग्रेज़ी 2. पर्यावरण अध्ययन

द्वितीय वर्ष – 1. सामान्य हिन्दी 2. कम्प्यूटर अनुप्रयोग

ऐच्छिक विषय :–

गणित वर्ग (निम्न में से कोई एक समूह)

1. भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित 2. भौतिक शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, गणित

जीव विज्ञान वर्ग (निम्न में से कोई एक समूह)

1. रसायन शास्त्र, प्राणि शास्त्र, वनस्पति शास्त्र
2. रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, वनस्पति शास्त्र

2. स्नातकोत्तर (दो वर्षीय पाठ्यक्रम)

1. कला संकाय :– हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं इतिहास
2. विज्ञान संकाय :– रसायन शास्त्र

3. पीएच.डी. :–

महाविद्यालय में हिन्दी साहित्य, संस्कृत साहित्य, राजनीति विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र और रसायन शास्त्र एवं प्राणि शास्त्र, विभागों में पीएच.डी. के लिए शोध सुविधाएं उपलब्ध हैं।

टिप्पणियां

1. यदि किसी विषय में प्रवेशार्थियों की संख्या निर्धारित से कम हुई तो यह विषय उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।
2. यदि किसी विषय में प्रवेशार्थियों की संख्या निर्धारित से अधिक हुई तो प्रवेशार्थियों को अपना विषय परिवर्तित करना होगा इसलिए प्रवेशार्थी अपने प्रवेश आवेदन पत्र में कुछ अतिरिक्त विषय संयोजन वरीयता क्रम में भरें।
3. यदि कोई विद्यार्थी अपनी इच्छा से विषय बदलना चाहेगा तो उसे रूपये 100/– (सौ रुपये) शुल्क जमा करवाना होगा। विषय परिवर्तन निर्धारित तिथि तक ही किया जा सकेगा। विषय में रिक्त स्थान होने पर ही आवेदन स्वीकार्य होंगे।

प्रवेश क्षमता

महाविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं विषयों में प्रवेश–क्षमता निम्नानुसार है :–

क्र. स.	पाठ्यक्रम	संख्या	विषय	विषयवार प्रवेश क्षमता
1	2	3	4	5
1.	कला स्नातक (बी.ए.)	480	अनिवार्य विषय ऐच्छिक विषय : 1. हिन्दी साहित्य 2. अंग्रेज़ी साहित्य 3. संस्कृत साहित्य 4. इतिहास 5. राजनीति विज्ञान 6. भूगोल 7. अर्थशास्त्र 8. संगीत 9. लोक प्रशासन 10. समाज शास्त्र	480 160 80 160 320 160 160 80 80 80 240
2.	कला स्नातकोत्तर (एम.ए.)	200	1. हिन्दी साहित्य 2. अंग्रेज़ी साहित्य 3. संस्कृत साहित्य 4. इतिहास 5. राजनीति विज्ञान 6 समाज शास्त्र	60 60 60 60 60 60
3.	विज्ञान स्नातक (बी.एससी.)	140	अनिवार्य विषय ऐच्छिक विषय : 1. रसायन शास्त्र 2. भूगर्भ शास्त्र 3. जीव विज्ञान 4. वनस्पति शास्त्र 5. भौतिक शास्त्र 6. गणित	140 140 70 70 70 70 70
4.	विज्ञान स्नातकोत्तर (एम.एससी.)	20	रसायन शास्त्र	30
5.	वाणिज्य स्नातक (बी.कॉम)	80	अनिवार्य विषय 1. लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी 2. आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध 3. व्यवसायिक प्रशासन	80 80 80 80

नोट : विभिन्न संकायों/कक्षाओं/विषयों में निर्धारित स्थानों में निदेशालय के निर्देशानुसार परिवर्तन संभव है।

उपस्थिति

1. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय के किसी भी नियमित पाठ्यक्रम में प्रविष्ट विद्यार्थी के लिए प्रत्येक प्रश्न–पत्र में प्रतिवर्ष आयोजित कुल कालांशों (जिसमें ट्यूटोरियल्स तथा प्रायोगिक कालांश सम्मिलित हैं) की कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. प्रत्येक विद्यार्थी विश्वविद्यालय के वर्तमान उपस्थिति नियमों एवं उनमें समय–समय पर किये गये रूपान्तरण एवं परिवर्तनों से आबद्ध होगा।
3. प्रत्येक विद्यार्थी अपनी उपस्थिति के बारे में स्वयं संबन्धित प्राध्यापकों से जानकारी प्राप्त करेगा एवं प्रत्येक प्रश्न–पत्र के अनुसार उपस्थिति का लेखा–जोखा रखेगा। यह जिम्मेदारी विद्यार्थी की स्वयं की होगी।
4. जो छात्र संस्थान के अधिकारियों द्वारा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के अनुमत सहपाठ्यक्रम गतिविधियो – जैसे खेलकूद, गणतन्त्र दिवस परेड़, शैक्षणिक यात्रा आदि में प्रतिनिधित्व करने के लिए महाविद्यालय/जिला स्तर पर भेजे जायेंगे, उन्हें उपर्युक्त गतिविधियों के कारण अनुपस्थिति के समय कक्षा में दिये गये व्याख्यान के बराबर उपस्थिति का लाभ दिया जायेगा। इसमें यात्रा के दिन भी सम्मिलित किये जायेंगे पर यह सुविधा एक शैक्षणिक वर्ष की कुल अवधि में अधिकतम 15 अनुपस्थिति के दिनों के लिए ही दी जायेगी।
5. जो परीक्षार्थी उपर्युक्त अपेक्षित न्यूनतम उपस्थिति पूरी नहीं कर पाता है उसे परीक्षा में सम्मलित होने से रोक दिया जायेगा।
6. ऐसे विद्यार्थी जिसे अपेक्षित उपस्थिति की कमी के कारण नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मलित होने से रोका गया है, उन पाठ्यक्रमों में जिनमें स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के बैठने का विधान है, उसी वर्ष स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है, यदि वह लिखित में आवेदन करे।
7. स्नातक द्वितीय तथा तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध के प्रवेशार्थी भी 1 जुलाई से कक्षाओं में नियमित उपस्थिति हों। इनकी उपस्थिति की गणना इसी तिथि से की जायेगी।

अनुशासन

(अ) सामान्य अनुशासन विद्यार्थियों द्वारा अच्छे व्यवहार की अनुपालना है। अनुशासनहीनता में निम्नलिखित व्यवहार सम्मिलित हैं :–

1. उपस्थिति में लगातार अनियमितता, सामूहिक रूप से कक्षाएं छोड़ना और प्रदत्त कार्य में लापरवाही करना।
2. कक्षा, कक्ष, कार्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास, खेलकूद के मैदान, महाविद्यालय परिसर, प्रशासनिक कार्यालय और परिसर में अशान्ति उत्पन्न करना या बाधा डालना या उपद्रव करना।
3. महाविद्यालय के तत्कालीन प्रभारी के आदेशों और नियमों की अवज्ञा करना तथा उन्हें चुनौती देना।
4. सभी प्रकार की जांच परीक्षाओं, परीक्षा–कार्यों, पाठ्यक्रम सम्बन्धी तथा सहपाठ्यक्रम संबंधी कृत्यों, छात्रसंघ के चुनावों इत्यादि में दुराचरण, दुर्व्यवहार या अनुचित साधनों का उपयोग करना।
5. महाविद्यालय के शैक्षणिक, अशैक्षणिक कर्मचारियों अथवा किसी सहपाठी के प्रति दुर्व्यवहार या दुराचरण करना।
6. महाविद्यालय की सम्पत्ति (जिसमें पुस्तकालय की पुस्तकें तथा सामयिक पत्रिकाएं सम्मलित हैं) को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना अथवा उन पर कुचित्र अंकित करना, अपशब्द लिखना अथवा उनका कोई अन्य दुरूपयोग करना।
7. भ्रामक प्रचार या अफवाहें फैलाना/भड़काना या उकसाना
8. महाविद्यालय प्रांगण या परिसर में नशीला पेय या मादक औषधि/सामग्री या धूम्रपान करना।
9. मांगने पर परिचय–पत्र प्रस्तुत करने से इन्कार करना।
10. अध्ययनकाल में परिसर या परिसर के बाहर अपराध या किसी प्रकार के अपराधिक/दण्डनीय कृत्यों में संलग्न होना।
11. मद 2 में उल्लिखित स्थानों में अपने पास अस्त्र–शस्त्र रखना।
12. किसी अवसर पर छद्म पहचान का उपयोग करना (Impersonation)
13. उपर्युक्त कृत्यों में से किसी के भी संबंध में अन्य व्यक्ति को उत्तेजित करना/उकसाना।
14. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल लाना और प्रयोग करना पूर्णतया वर्जित है। मोबाइल पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जोगी।

(ब) दण्ड प्रावधान :–

अनुशासन के दोषी विद्यार्थी को अनशासन समिति की अनुशंसा पर अध्यादेश 88 के अनुसार दण्डित किया जायेगा। अध्यादेश 88 का अंश निम्नानुसार है :

Ordinance 88

1. When a student has been found guilty of grave misconduct or of persistent negligence of work, the principal of the college at which he/she is studying according to the nature and gravity of the offence may

(a) Expel him for not less than a month or

(b) Rusticate him for a period not less than six months but not exceeding one academic year, or

(c) Disqualify such a student for appearing at the next examination.

2. No student who has been so expelled be admitted to another college without the permission of the principal of the aforesaid college and no student who has been so rusticated shall be admitted to another college within the period of his rustication.

(स) महाविद्यालय के अन्दर या बाहर कहीं भी रैगिंग लेना मना है। यदि कोई विद्यार्थी रैगिंग लेते पाया गया तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

संसाधन एवं गतिविधियाँ

पुस्तकालय

किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान की श्रेष्ठता का एक पैमाना उसका पुस्तकालय है। यह सचमुच ही गर्व की बात है कि महाविद्यालय का पुस्तकालय राज्य के श्रेष्ठ पुस्तकालयों में से एक है। यहाँ लगभग 72278 पुस्तकें और दर्जनो पत्र–पत्रिकाएं सुलभ हैं। सभी विषयों की अद्यतन पुस्तकें और पत्र–पत्रिकाएं यहाँ मंगवायी जाती है। पुस्तकालय ई–लाईब्रेरी Library Management System से युक्त है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ई–कियोस्क उपलब्ध है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि पुस्तकालय की सेवाओं का लाभ उठाते समय निम्न नियमों की अनुपालना अवश्य करें :–

1. पुस्तकालय में प्रवेश परिचय–पत्र के साथ ही करें। पुस्तक आदान–प्रदान शनिवार के अतिरिक्त प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक किया जायेगा।
2. अपनी छोटी नोट बुक के अतिरिक्त, जो भी सामग्री आपके पास है, उसे प्रवेश द्वार पर जमा करवा दें।
3. स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों को दो और स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को जो तीन उधार पत्रक पुस्तकें लेने के लिए दिये जाते है, उन्हें संभालकर रखें।
4. पुस्तकें 14 दिन के लिए दी जाती है, विलम्ब की स्थिति में 50 पैसा प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त शुल्क देय है।
5. पुस्तकें लेते समय अच्छी तरह से देख लें। कोई विकृति हो तो पुस्तकालयाध्यक्ष को सूचित करें अन्यथा आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
6. पुस्तकें अहस्तांतरणीय हैं।
7. संदर्भ ग्रन्थ आपको नहीं दिये जायेंगे। आप चाहें तो वहीं उपयोग कर सकते हैं।
8. पुस्तकालय में प्रवेश और निकास के समय जांच के लिए प्रस्तुत होना बाध्यकारी है।

बुक बैंक (यू.जी.सी.)

जरूरतमंद विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान से महाविद्यालय के पुस्तकालय में अलग से बुक बैंक की व्यवस्था की गई है। इस बैंक से उन विद्यार्थियों को सत्र भर के लिए निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की जाती हैं, जिनके अभिभावकों की मासिक आय कम है। जरूरतमंद छात्र यथा समय निर्धारित आवेदन–पत्र पुस्तकालय में देकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप अन्त में दिया गया है।

परिचय–पत्र

प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय शुल्क जमा करवाने पर एक परिचय–पत्र दिया जायेगा। महाविद्यालय में कभी भी विद्यार्थी से परिचय–पत्र दिखाने को कहा जा सकता है। परिचय–पत्र अत्यन्त सावधानी से संभालकर रखें। खो जाने पर तत्काल महाविद्यालय प्रशासन को सूचित करें। डुप्लीकेट परिचय–पत्र, शुल्क जमा करवाने पर मिल सकेगा।

रेल/बस कन्सेशन सुविधा

रेल या बस कन्सेशन की सुविधा महाविद्यालय अपने नियमित छात्रों को दीर्घ अवकाशों में स्थाई निवास (जो प्रवेश आवेदन–पत्र में अंकित हो) पर जाने, विभिन्न प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु जाने, अधिकृत भ्रमण पर जाने और महाविद्यालय से सम्बन्धित कोई परीक्षा देने जाने पर देता है। कन्सेशन चाहने वाले विद्यार्थी को यात्रा से सात दिन पूर्व निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य को आवेदन करना होगा।

दूरस्थ शिक्षा केन्द्र

महाविद्यालय में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के अध्ययन केन्द्र संचालित हैं, जहां विभिन्न पाठ्यक्रमों में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अध्ययन–अध्यापन होता है। खुला विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश और परामर्श के लिए समन्वयक से संपर्क किया जा सकता है।

खेल सुविधाएं

महाविद्यालय के खेल मैदान में अरविन्द पेवेलियन बास्केट बॉल नवनिर्मित कोर्ट व अन्य सुविधाएं उपलब्ध है। एक सुसज्जित जिम के अलावा हॉकी, फुटबाल, टेनिस, बैडमिण्टन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, बास्केट बॉल, वॉलीबॉल एवं कबड्डी आदि खेलों की व्यवस्था की गई है। एथलेटिक्स तथा इनडोर खेलों की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

शैक्षिकोत्तर

युवा कौशल परामर्श प्रकोष्ठ

यह प्रकोष्ठ प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर एवं गतिविधियों की आवश्यकता व महत्व के अनुरूप सही गतिविधि के चुनाव में सहायता प्रदान करने का कार्य करेगा। प्रथम वर्ष में नव प्रवेशित प्रत्येक विद्यार्थी को किसी एक गतिविधि में भाग लेना अनिवार्य होगा।

नेशनल कैडेट कोर (NCC)

महाविद्यालय में एन.सी.सी. की एक प्लाटून उपलब्ध है। जिसमें नियमानुसार छात्राओं हेतु स्थान आरक्षित है। यह थल सेना से संबद्ध 4 राज. (स्वतंत्र) कंपनी की इकाई है। एन.सी.सी. के प्रशिक्षण को ऐच्छिक दर्जा प्रदान किया गया है। अन्य विकल्प के रूप में एन.एस.एस. तथा खेलकूद सुविधाएं उपलब्ध हैं। एन.सी.सी. द्वारा द्विवर्षीय सैनिक प्रशिक्षण में बी और सी सर्टिफिकेट की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। कैडेटों को अनेक प्रकार के शिविरों में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। यह ज्ञातव्य है कि कतिपय सरकारी नौकरियों में एन.सी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य हैं। एन.सी.सी. में नामांकन के लिए समय पर निर्धारित आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। छात्रावास में निवास करने वाले विद्यार्थियों के लिए एन.सी.सी./एन.एस.एस. की सदस्यता बाध्यकारी है।

राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)

राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि छात्र शिक्षा के साथ–साथ सामाजिक कार्यों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करें और राष्ट्रभक्त एवं योग्य नागरिक बनें। कार्यक्रम को अभिनव बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता, एड्स के प्रति जागरूकता, बस्ती गोद लेने की अनिवार्यता, साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, महिला विकास एवं उत्थान तथा बंजर भूमि विकास, राष्ट्र/प्रदेश के द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों की जानकारी देने आदि कार्यक्रमों को एकीकृत रूप में एन.एस.एस. के साथ जोड़ा गया है। एन.एस.एस. के साथ जुड़कर छात्र/छात्राएं ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जागरूक हो सकते हैं तथा इस प्रकार समाज के एक क्रियाशील नागरिक बन सकते हैं। हमारे महाविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा एन.एस.एस. की चार इकाइयां स्वीकृत हैं, जिनमें प्रति वर्ष 400 विद्यार्थी पंजीकृत किये जाते हैं।

युवा विकास केन्द्र (YDC)

राज्य सरकार ने महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को रोजगारोन्मुखी कौशल अभिवृद्धि, व्यक्तित्व विकास, स्वयं के रूचि के व्यवसाय खोजने व सामाजिक कार्यों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु युवा विकास केन्द्र स्थापित किया है। इसके अन्तर्गत वर्ष भर विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सेमीनार का आयोजन किया जाता है जो कि विषयपरक वार्ता कर छात्र–छात्राओं की समस्याओं के निराकरण में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। साथ ही छात्र–छात्राओं को इस हेतु साहित्य भी प्रदान किया जाता है, जिससे कि विद्यार्थी रोजगारपरक जानकारी प्राप्त कर सकें। राज्य सरकार के निर्देशानुसार एक सत्र में 20 विभिन्न विषयों यथा रोजगार की तलाश कैसे की जाए, बायो–डाटा कैसे लिखा जाए, समय प्रबन्धन, तनाव प्रबन्धन, क्रोध प्रबन्धन, दूरभाष पर शिष्टाचार वार्ता, स्वास्थ्य सुधार व जागरूकता आदि पर व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं।

रोवर/रेंजर (Rover / Ranger)

महाविद्यालय में गत पांच वर्षों से छात्रों के लिए 'रोवर क्रू' और छात्राओं के लिए 'रेंजर टीम' निरंतर संचालित हो रहे हैं। टीम/क्रू में प्रवेश के पश्चात प्रथम वर्ष में 'प्रवीण प्रमाण–पत्र' द्वितीय वर्ष में 'निपुण' तथा तृतीय वर्ष में राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयन किया जाता है।

योजना मंच (Planning Forum)

सभी संकायो के विद्यार्थियों में आयोजना विषयक जागरूकता एवं रूझान उत्पन्न करने तथा इस विषय की अद्यतन जानकारी देने के लिए योजना मंच सक्रिय रहता है। इस के लिए वार्ताऐं, प्रतियोगिताएँ आदि आयोजित की जाती है।

महिला अध्ययन प्रकोष्ठ (Women Cell)

प्रकोष्ठ समाज में महिलाओं की प्रस्थिति व भूमिका, अधिकार एवं कानून के संबंध में चेतना जागृत करता है। यह महिलाओं से संबंधित विविध विषयों पर सर्वेक्षण, व्याख्यान, कार्यशाला एवं प्रतियोगिताएं आयोजित करवाता है।

मानवाधिकार क्लब (Human Rights Club)

वर्तमान समय में सभी देशों में एवं सभी क्षेत्रों में मानवाधिकारों का संरक्षण एवं संवर्द्धन एक ज्वलंत विषय के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार एवं निदेशालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के दिशानिर्देशानुसार महाविद्यालय में भी मानवाधिकार क्लब का गठन किया गया है। इसमें विद्यार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से वार्ताओं, संगोष्ठियों इत्यादि का आयोजन किया जाता है।

रेड रिबन क्लब (Red Ribbon Club)

राजस्थान स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, जयपुर द्वारा संचालित रेड रिबन क्लब की दो इकाईयाँ राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत है। रेड रिबन क्लब का मुख्य उद्देश्य समाज में एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना तथा रक्तदान के लिए नौजवानों को प्रेरित करना है। इसके तहत समय–समय पर वार्ता तथा जागरूकता रैलियों का आयोजन महाविद्यालय स्तर पर किया जाता है।

छात्र संघ

लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुकूल महाविद्यालय में छात्र–संघ का गठन किया जाता है। महाविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, एवं संयुक्त सचिव के पदों के अतिरिक्त कक्षा प्रतिनिधियों का चुनाव विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थी निर्धारित कक्षाओं में प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा करते हैं। निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधियों में से ही छात्र संघ कार्यकारिणी का गठन होता है। विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था के रूप में छात्र–संघ का प्रमुख दायित्व महाविद्यालय प्रशासन के साथ मिल–जुलकर प्रतिवर्ष साहित्यिक, सांस्कृतिक, क्रीड़ा व अन्य गतिविधियों को छात्रोपयोगी व उत्साहवर्द्धक बनाना होता हैं। महाविद्यालय के दैनन्दिन प्रशासन में छात्रों को उचित स्थान प्रदान करने में भी छात्र–संघ का सहयोग रहता हैं।

संकाय परिषद

यह महाविद्यालय बहुसंकायी है। यहॉं कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय संचालित हो रहे हैं। प्रत्येक संकाय के विद्यार्थी अपने–अपने क्षेत्र में भी सह–शैक्षणिक गतिविधियों में प्रतिभागी बनकर श्रेष्ठता अर्जित करें, इस उद्देश्य से संकाय परिषद् का गठन किया जाता है। संकाय परिषद के पदाधिकारियों का मनोनयन पिछली परीक्षा में सर्वोच्च प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता है।

खेल–कूद

महाविद्यालय अपने विद्यार्थियों के शारीरिक विकास पर भी पूरा ध्यान देता है। खेलकूद समिति इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि महाविद्यालय के खिलाड़ियों का प्रदर्शन उच्च स्तर का हो तथा प्रत्येक विद्यार्थी किसी न किसी खेल में भाग ले। कॉलेज में हॉकी, फुटबाल, टेनिस, बैडमिण्टन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, बास्केट बॉल, वॉलीबॉल एवं कबड्डी आदि खेलों की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के व्यायाम, दौड़ें , भारोत्तोलन, कूदें, तश्तरी फेंक, गोला फेंक, भाला फेंक, आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध है। टेनिस, टेबल टेनिस, क्रिकेट और बैडमिण्टन में नियमित रूप से भाग लेने के इच्छुक छात्र–छात्राओं को इस निमित्त अलग से शुल्क देना होगा।

साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आयोजन

महाविद्यालय द्वारा विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के अन्तर्गत वाद–विवाद, सामान्य ज्ञान, निबन्ध, भाषण, संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया जाता है तथा पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। विभिन्न राज्य स्तरीय, अन्तर विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है।

नॉलेज सेंटर

नॉलेज सेन्टर महाविद्यालय का अधुनातन संदर्भ केन्द्र है, जहाँ 10 कम्प्यूटर एक सर्वर कम्प्यूटर के माध्यम से इन्टरनेट से जुड़े हैं। यहाँ विद्यार्थी अपनी पसंद के विषय की नवीनतम जानकारी के स्रोतों के बारे में जान सकता है। केन्द्र समन्वयक से इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

महाविद्यालय प्रकाशन

महाविद्यालय में वार्षिक पत्रिका ''अरावली'' एवं त्रैमासिक पत्रिका ''दिशा'' का प्रकाशन किया जाता है। महाविद्यालय का विद्यार्थी इसमें अपनी स्वरचित कविता, आलेख अन्य समाजोपयोगी रचनाएं देकर बौद्धिक विकास भी कर सकते हैं।

वनस्पति उद्यान

राजकीय महाविद्यालय, सिरोही के विज्ञान परिसर में स्थित वनस्पति उद्यान पश्चिमी राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय वनस्पति उद्यान है। लगभग 5000 वर्गफीट की चार दिवारी के भीतर एवं बाहर स्थित इस उद्यान में 100 से भी अधिक वनस्पति प्रजातियां उपलब्ध है। जिनमें से जिम्नोस्पर्म की पांच प्रजातियां (साइकस, आरूकेरिया, थुजा) पाम की तीन प्रजातियां, फलदार वृक्षों की प्रजातियां यथा अंजीर, चीकू, जामून, शहतूत इत्यादि एवं ग्वारपाठा, केवड़ा, अर्जुन, हवन, कचनार इत्यादि प्रमुख है। यह उद्यान महाविद्यालय का गौरव है तथा इसमें मरूद्भिदिय एवं समोद्भिद प्रजातियों का मिश्रण उपलब्ध है।

छात्रवृत्तियाँ

महाविद्यालय का कोई भी प्रतिभावान विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहे, इस हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्तियों की विभिन्न श्रेणियॉ इस प्रकार हैं :

- निदेशालय, कॉलेज शिक्षा द्वारा देय छात्रवृत्तियाँ
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा देय उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्तियाँ
- अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा देय छात्रवृत्तियाँ
- विशिष्ट योग्यजन छात्रवृत्तियाँ

उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति

राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से पिछडे समस्त जाति एवं धर्म के विद्यर्थियों के लिए यह छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है। यह मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं (FLAGSHIP SHCEMES) में से एक है। इस छात्रवृत्ति योजना की Monitoring मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जाती है। **देय** छात्र**वृ**त्ति : 500रू प्रतिमाह की दर से (प्रवेश तिथि से गणना की जाएगी)

पात्रता :

1. सभी वर्गों(SC/ST/OBC/SBC/MINORITY/GENERAL) के विद्यार्थी पात्र
2. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से सीनियर सैकेण्डरी (विज्ञान / वाणिज्य / कला) परीक्षा में 60 :अंकों से उत्तीर्ण विद्यार्थी
3. माता–पिता / अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं।

कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना

देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा देय छात्रवृत्तियाँ

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निम्न उत्तर मे**ट्रिक** छात्र**वृ**त्तिया छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं :

(अ) अनुसूचित जाति (SC) -
(ब) अनुसूचित जनजाति (ST) -
(स) अन्य पिछडा वर्ग (OBC) -
(द) विशेष पिछडा वर्ग (SBC) -

उपर्युक्त सभी छात्रवृत्तियों के लिए सत्र 2012–13 से ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया गया है। अतः जो विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निम्न छात्रवृत्तियाँ लेना चाहता है, उसे ऑनलाइन आवेदन ही करना है अन्यथा उसका छात्रवृत्ति आवेदन स्वीकार नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि ये छात्रवृत्तियाँ महाविद्यालय में नियमित अध्ययन करने तक देय होंगी।
उपर्युक्त सभी छात्रवृत्तियों सम्बन्ध में सामान्य अनु**देश** निम्न प्रकार हैं

1. एक सत्र में एक विद्यार्थी एक से अधिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं उठा सकता है।
2. माता–पिता के जीवित रहते अन्य व्यक्ति अभिभावक नहीं बन सकता है।
3. छात्रवृत्ति के लिए महाविद्यालय का नियमित विद्यार्थी ही पात्र है।
4. पूर्व सत्र में अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी।
5. एक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर उसी स्तर के दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर

छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी।

6. एक संकाय के प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण होने पर पुनः दूसरे संकाय के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा देय छात्रवृत्तियाँ

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु आर्थिक रूप से पिछडे अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, पारसी, इत्यादि) के योग्य छात्रों के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है ताकि उनको उच्च शिक्षा में अधिक अवसर मिलें तथा रोजगार पाने की संख्या में वृद्धि हो।

छात्रवृत्ति से जुडी विशेष जानकारी के लिए संबंधित शिक्षक या शाखा से संपर्क करें